

ब अदालत श्री नवीन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह,  
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 04 / 2026

तारीख पेशी : 28-03-2026

श्रीमती संगीता देवी पुत्री श्री बालक राम, निवासी गांव डाहर, डाकघर व ग्राम पंचायत संगड़ाह, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थना—पत्र श्रीमती संगीता देवी पुत्री श्री बालक राम, निवासी गांव डाहर, डाकघर व ग्राम पंचायत संगड़ाह, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि प्रार्थिया की जन्म तिथि 18-04-1982 है, जोकि ग्राम पंचायत संगड़ाह, तहसील रेणुकाजी, स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर, हि0प्र0 के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं है, जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28-03-2026 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिलेगौर न होगा तथा प्रार्थिया की जन्म तिथि 18-04-1982 ग्राम पंचायत संगड़ाह में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05-03-2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
(नवीन कुमार),  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री नवीन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह,  
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 05 / 2026

तारीख पेशी : 28-03-2026

श्री गुलशन कुमार पुत्र श्री दौलतराम, निवासी बडवाना, डाकघर व ग्राम पंचायत अंधेरी, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री गुलशन कुमार पुत्र श्री दौलतराम, निवासी बडवाना, डाकघर व ग्राम पंचायत अंधेरी, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि प्रार्थी की जन्म तिथि 01-01-2000 है, जोकि ग्राम पंचायत अंधेरी, तहसील रेणुकाजी, स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर, हि0प्र0 के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28-03-2026 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिलेगौर न होगा तथा प्रार्थी की जन्म तिथि 01-01-2000 ग्राम पंचायत अंधेरी में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05-03-2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
(नवीन कुमार),  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री नवीन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह,  
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 06 / 2026

तारीख पेशी : 28-03-2026

श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री कुन्दन सिंह, निवासी बनवानी, डाकघर सागना, ग्राम पंचायत सताहन, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री कुन्दन सिंह, निवासी बनवानी, डाकघर सागना, ग्राम पंचायत सताहन, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि प्रार्थी की जन्म तिथि 01-05-1978 है, जोकि ग्राम पंचायत सताहन, तहसील रेणुकाजी, स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर, हि0प्र0 के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28-03-2026 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिलेगौर न होगा तथा प्रार्थी की जन्म तिथि 01-05-1978 ग्राम पंचायत सताहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05-03-2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

(नवीन कुमार),  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री नवीन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह,  
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 07 / 2026

तारीख पेशी : 28-03-2026

श्री जसवंत सिंह पुत्र श्री कलम सिंह, निवासी गांव कशलोग, डाकघर अंधेरी, ग्राम पंचायत लुधियाना, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थना—पत्र श्री जसवंत सिंह पुत्र श्री कलम सिंह, निवासी गांव कशलोग, डाकघर अंधेरी, ग्राम पंचायत लुधियाना, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि प्रार्थी की पुत्री तान्या की जन्म तिथि 13-12-2007 है, जोकि ग्राम पंचायत लुधियाना, तहसील रेणुकाजी, स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर, हि0प्र0 के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28-03-2026 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिलेगौर न होगा तथा प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि 13-12-2007 ग्राम पंचायत लुधियाना में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05-03-2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
(नवीन कुमार),  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

**Before Sh. Jas Pal, H.P.A.S., Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate Shillai, Sub  
Division Shillai, District Sirmaur, Himachal Pradesh**

In the matter of:

1. Sh. Manoj Kumar s/o Sh. Fagu Ram, r/o Village Pinjwana, P.O. Bakras, Tehsil Shillai,  
Distt. Sirmaur (H.P.)

2. Kumari Khagisara d/o Sh. Sher Bahadur, r/o J.E. Building Lower Vikasnagar, Distt. Shimla (H.P.).

*Versus*

General Public

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

Whereas, Sh. Manoj Kumar s/o Sh. Fagu Ram, r/o Village Pinjwana, P.O. Bakras, Tehsil Shillai, Distt. Sirmaur (H.P.) and Kumari Khagisara w/o Sh. Manoj Kumar and d/o Sh. Sher Bahadur, r/o J.E. Building Lower Vikasnagar, Distt. Shimla (H.P.) have filed an application for the registration of their marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954, which was solemnized on 29-09-2025 and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices are hereby given to all concerned and general public to this effect if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between above said Sh. Manoj Kumar s/o Sh. Fagu Ram and Kumari Khagisara d/o Sh. Sher Bahadur presently residing at Village Pinjwana, P.O. Bakras, Tehsil Shillai, Distt. Sirmaur (H.P.) they should file their written objections and should appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, it will be presumed that is no objection to the registration of the above said marriage and registration of marriage will be done accordingly.

Issued under my hand and seal of this court on this 06th day of March, 2026.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum- Sub Divisional Magistrate,  
Shillai, District Sirmaur (H.P.).*

ब अदालत श्री नवीन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुका जी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर,  
हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : 80282 / 2026

तारीख पेशी : 18-03-2026

श्री पारस पुत्र श्री जीत सिंह, निवासी गनोग, पो० ओ० बड़ग, तहसील रेणुका जी स्थित संगड़ाह,  
जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

विषय.— दरखास्त सेहत नाम वाका मौजा थाना खेगवा, पटवार वृत्त काकोग, तहसील रेणुका जी, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

मुकद्दमा उपरोक्त अदालत हजा में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी श्री पारस पुत्र जीत सिंह, निवासी गनोग, तहसील रेणुका जी, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने दरखास्त गुजारी है जिसके अनुसार उसकी माता का सहा नाम श्रीमती कमला देवी है तथा प्रार्थी ने अपनी माता का तमाम रिकार्ड मृत्यु प्रमाण—पत्र, परिवार नकल, आधार कार्ड, राशन कार्ड, दसवीं कक्षा प्रमाण—पत्र, पैन कार्ड, पेश किया है जिसमें प्रार्थी की माता का नाम कमला देवी है परन्तु राजस्व रिकार्ड मौजा थाना खेगवा, पटवार वृत्त काकोग में सायल की

माता का नाम कला पुत्री मीना पुत्र मोहीराम दर्ज चला आ रहा है, जोकि गलत है तथा जिसको वह मौजा थाना खेगवा के राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा तिथि 18-03-2026 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिलेगौर न होगा तथा प्रार्थी की माता का सही नाम श्रीमती कमला देवी पुत्री मीना पुत्र मोहीराम, मौजा थाना खेगवा में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 05-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील रेणुका जी स्थित संगड़ाह,  
जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री नवीन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुका जी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर,  
हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : 802812 / 2026

तारीख पेशी : 28-03-2026

श्री काँशीराम पुत्र श्री धर्म सिंह पुत्र प्रेमु, निवासी राईचा, पो0 ओ0 रेडली, तहसील रेणुका जी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त सेहत नाम वाका मौजा लाना मशूर, पटवार वृत्त संगड़ाह, तहसील रेणुका जी, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

मुकद्दमा उपरोक्त अदालत हजा में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी श्री काँशीराम पुत्र श्री धर्म सिंह पुत्र प्रेमु, निवासी राईचा, पो0 ओ0 रेडली, तहसील रेणुका जी स्थित संगड़ाह, तहसील रेणुका जी, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने दरखास्त गुजारी है जिसके अनुसार उसका सही नाम काँशीराम पुत्र धर्म सिंह है तथा प्रार्थी ने अपना तमाम रिकार्ड परिवार नकल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग पहचान-पत्र, बैंक पास बुक पेश किया है, जिसमें प्रार्थी का नाम काँशीराम है परन्तु राजस्व रिकार्ड मौजा लाना मशूर पटवार वृत्त संगड़ाह में सायल का नाम कासिया पुत्र धर्म सिंह दर्ज चला आ रहा है, जोकि गलत है तथा जिसको वह मौजा लाना मशूर के राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा तिथि 28-03-2026 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिलेगौर न होगा तथा प्रार्थी का सही नाम श्री काँशीराम पुत्र धर्म सिंह पुत्र प्रेमु, मौजा लाना मशूर में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 05-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील रेणुका जी स्थित संगड़ाह,  
जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री नवीन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुका जी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर,  
हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : 80283 / 2026

तारीख पेशी : 28-03-2026

श्री मोहन लाल पुत्र श्री संतराम पुत्र कंठीराम, निवासी माईना, तहसील रेणुका जी स्थित संगड़ाह,  
जिला सिरमौर (हि०प्र०)

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त सेहत नाम वाका मौजा थाना खेगुवा, पटवार वृत्त काकोग, तहसील रेणुका जी, जिला  
सिरमौर, (हि०प्र०)।

मुकद्दमा उपरोक्त अदालत हजा में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी श्री मोहन लाल पुत्र श्री संतराम पुत्र  
कंठीराम, निवासी माईना, तहसील रेणुका जी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने दरखास्त  
गुजारी है जिसके अनुसार उसका सही नाम मोहन लाल पुत्र संतराम है तथा प्रार्थी ने अपना तमाम रिकार्ड  
परिवार नकल, आधार कार्ड, नकल जमाबन्दी पेश किया है, जिसमें प्रार्थी का नाम मोहन लाल पुत्र संतराम है  
परन्तु राजस्व रिकार्ड मौजा थाना खेगुवा पटवार वृत्त काकोग में सायल का नाम मैलाराम पुत्र श्री संतराम दर्ज  
चला आ रहा है, जोकि गलत है तथा जिसको वह मौजा थाना खेगुवा के राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करवाना  
चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति  
को कोई उजर/एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा तिथि 28-03-2026 को प्रातः 10.00 बजे  
हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है बाद गुजरने मियाद कोई उजर  
काबिलेगौर न होगा तथा प्रार्थी का सही नाम श्री मोहन लाल पुत्र श्री संतराम पुत्र कंठीराम, मौजा थाना खेगुवा  
में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 05-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील रेणुका जी स्थित संगड़ाह,  
जिला सिरमौर (हि०प्र०)।